संख्या-16/2018/क0नि0-4-217/11-2018-300(15)/2015

प्रेषक,

मो0 मारूफ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर ,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांकः 13 मार्च, 2018**

विषयः- जनपद औरैया में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी-1-5-बजट/पुनर्विनियोजन/2017-18/1213/ वाणिज्य कर, दिनांक 19.02.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद औरैया में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु धनराशि रु0-23.32 लाख (रुपया तेईस लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित कर दी गई है। उक्त धनराशि व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(2) उक्त पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था कराए जाने के प्रयोजन से किया जा रहा है, व्यय के पूर्व सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन करते हुए समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जाएगा।

(3) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉं, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

(5) जिस मानक मद की बचत से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(6) पुनर्विनियोग करायी जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनॉक-03.08.2017 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1314-जनपद औरैया में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

संख्या-16/2018/क0नि0-4-217(1)/11-2018, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, औरैया।
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, औरैया।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भलीं भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम: 89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) वित्तीय वर्ष - 2017-2018 (धनराशि लाख रु0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा				
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
40596005103-जनपद गाजियाबाद सहायता केन्द्र मोहननगर परिसर में विभागीय ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण					
24-वृहद् निर्माण कार्य	900.00	23.32	23.32	23.32	876.68
योग:	900.00	23.32	23.32	23.32	876.68

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा				
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4059010511314-जनपद औरेया में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण					
24-वृहद् निर्माण कार्य	265.93	289.25	23.32	23.32	289.25
योग:	265.93	289.25	23.32	23.32	289.25

(1) स्तम्भ 3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-

लेखाशीर्षक-40596005103-जनपद गाजियाबाद सहायता केन्द्र मोहननगर परिसर में विभागीय ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण के अन्तर्गत मानक मद-24-वृहद् निर्माण कार्य की मद में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वास्तविक व्यय के आधार पर रुपये 23.32 (रुपये तेईस लाख बत्तीस हजार मात्र) की बचत सम्भावित है ।

(1) स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय का कारण निम्नानुसार है :-

लेखाशीर्षक-4059010511314-जनपद औरेया में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण के अन्तर्गत मानक मद-24-वृहद् निर्माण कार्य की मद में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में कुल रु0 23.32 (रुपये तेईस लाख बत्तीस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की अत्यन्त आवश्यकता है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(मो0 मारुफ)

विशेष सचिव,

कर एवं निबंधन विभाग ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-आर0ई0-366/ई-9-82/दस-2018, दिनांक: 06 मार्च, 2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(संजय कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-16/2018/क0नि0-4-217(2)/11-2018, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, औरैया।
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, औरैया।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)
9. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मो0 मारुफ)
विशेष सचिव
कर एवं निबंधन विभाग ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in